न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2020/00117 दायरा दिनांक : 25.11.2020

उनवान

1– मंदिर श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां नाबालिग बविलायक व प्रबन्धक तहसीलदार अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां राज0
2– राजस्थान सरकार जरिये देवस्थान विभाग, सहायक आयुक्त, कोटा राज0
3– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, बारां, जिला बारां, राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण, निवासी श्रीजी का चौक, बारां, तहसील बारां, जिला बारां, राज0
2– रामकन्याबाई बेवा भंवरलाल, जाति ब्राहमण, निवासी श्रीजी का चौक, बारां, तहसील बारां, जिला बारां, राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश मीणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बी.एल.जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 11.07.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 84/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम छजावा, तहसील अटरू में खसरा नं. 422 रकबा 1.34 हेक्टर व खसरा नं. 423 रकबा 2.62 हेक्टर कुल दो किता रकबा 3.96 हेक्टर भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2020 से वाद वादीगण स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2020 विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा अपीलांट क्रम 2 की प्रोपर तामील हुये बिना ही एक तरफा निर्णय कर दिया गया। अपीलांट क्रम 1 व 3 को जवाबदावे का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर गलत रूप से जवाबदावा बन्द कर दिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को अपने दस्तावेज व उनके समर्थन में अपनी जवाबदेही

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पेश करने का कोई विधि सम्मत अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गई, जो खिलाफ कानून होने के कारण काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

वादग्रस्त आराजी ग्राम छजावा, तहसील अटरू की कुल किता 2 कुल रकबा 3.96 हेक्टर हेतु रेस्पोडेंट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर पूर्व खसरा नं. 255 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा में संवत 2013 से 2032 की खसरा सफाई सैटलमेंट विभाग के रिकार्ड में दर्ज थी। जिसमें पुजारी के रूप में श्रीधर पुत्र श्री बजरंगा, जाति ब्राहमण का नाम दर्ज होना व खुद काबिज अंकन होना बताकर प्रस्तुत किया गया है तथा श्रीधर को लाऔलाद फौत होना बताया जाकर श्रीधर के पिता बजरंगा का भाई कल्याण व कल्याण के दो पुत्र श्री निवास व कन्हैयालाल बताये गये। जिनके देहान्त के बाद श्री निवास का पुत्र विश्वेश्वर को लाऔलाद फौत होना बताया गया तथा कन्हैयालाल के दो पुत्र भंवरलाल व लक्ष्मीनारायण बताया गया जिसमें भंवरलाल का देहान्त होने पर उसके कोई संतान नहीं होना एक मात्र बेवा रेस्पोडेंट कम 2/वादिनी कम 2 बतायी जाकर उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया गया है किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा श्रीधर का लाऔलाद फौत होना व उनके एक मात्र वारिस रेस्पोडेंट/वादीगण होना कही प्रमाणित ना होते हुए भी उक्त वाद पत्र का निर्णय करते हुए उन्हें पुजारी के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है जबकि विधवा हिन्दू संस्कृति में किसी भी प्रकार की मंदिर में सेवा पूजा नहीं करती है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं पर कोई गौर नहीं किया गया और न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया एवं मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो खिलाफ कानून होने के कारण काबिल निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय में उक्त आराजियात शासन सचिव महोदय, राज0 जयपुर के आदेश अ.शा.प.सं. 7(11) देव/90 दिनांक 31.05.1993 की पालना में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार तहसीलदार/अपीलांट कम 1 द्वारा प्रतिवर्ष मुनाफा काश्त पर देने की कार्यवाही की जाती रही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पोडेंट का कब्जा मानने में भारी भूल की है। जबकि वादी/रेस्पोडेंट द्वारा कब्जा प्राप्त करने की किसी भी प्रकार की कार्यवाही में प्रार्थना नहीं की गई है इस प्रकार जब कब्जा प्राप्त करने का कोई अनुतोष ही नहीं मांगा गया तो स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है।

रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है उक्त विवादित आराजीयात अपीलांट द्वारा मुनाफा काश्त पर खुली नीलामी प्रकिया के तहत नियमानुसार जुपायी जाती है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट का कब्जा गलत रूप से स्वीकार किया गया है, जबकि रेस्पोडेंट द्वारा धारा 183 आर.टी.एक्ट की प्रार्थना अपने वाद पत्र में नहीं की गई है तो ऐसी स्थिति में स्थायी निषेधाज्ञा किसी भी प्रकार से जारी किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

रेस्पोडेंट द्वारा अपने वाद पत्र में राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 25.11.2011 के अनुसार राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 31.12.1991 की निरन्तरता में परिपत्र कमांक 3(2)राज0–6/07/14 दिनांक 24.05.2007 जारी किया जिसके बिन्दु सं. 3 के

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अनुसार जिन कृषकों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं परन्तु मूर्ति मंदिर की माफी भूमि मानकर दायर रेफरेन्स केस लंबित है यह स्वीकार किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को रेफरेन्स के निर्णय होने तक किसी भी प्रकार से ऐसा निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं था जिससे उक्त रेफरेन्स प्रभावित हो सके। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी बिन्दुओं का उल्लंघन कर उक्त निर्णय व डिक्री पारित की गई, जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट द्वारा अपने वाद पत्र में स्वीकार किया कि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसकी आराजियात पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2020 निरस्त फरमाया जाकर के अपीलांट को मंदिर श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये खुली प्रक्रिया के तहत नीलामी बोली द्वारा काश्त व्यवस्था करवाये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए पुजारी के रूप में सेवा करने वाले के लिये सेवा प्रतिफल अदा करने का अनुतोष प्रदान करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी जब पालना हेतु अपीलांट कम 1 के पास उक्त निर्णय की नकल पहुंची तब जानकारी हुई जिसके बाद नकल प्राप्त की गई तथा नकल प्राप्त होने के पश्चात कोविड 19 महामारी पूर्णतः जोर पर थी इस कारण अपील करने में देरी हुई है जो क्षम्य किये जाने योग्य है।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि विवादित आराजी ग्राम छजावा, तहसील अटरू में खसरा नं. 422 रकबा 1.34 हेक्टर व खसरा नं. 423 रकबा 2.62 हेक्टर कुल दो किता रकबा 3.96 हेक्टर मंदिर कल्याणराय जी बारां खातेदार पुजारी लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री कन्हैयालाल, रामकन्या बेवा कंवरलाल का नाम दर्ज किये जाने आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये हैं जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया और ना ही अपीलांट देवस्थान विभाग की बिना कोई तामील हुए एक तरफा निर्णय व जवाबदावा बन्द कर निर्णीत किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

ग्राम छजावा, तहसील अटरू की कुल आराजियात दो किता रकबा 3.96 हेक्टर है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्रस्तुती से पूर्व खसरा नं. 255 रकबा 23.18 बीघा सम्वत 2013 से 2032 की भूमि सैटलमेंट विभाग के रिकार्ड में दर्ज थी जिसमें पुजारी श्रीधर पुत्र बजरंगा नाम दर्ज होना व खुद काबिज होना अंकन होना बताकर

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वाद प्रस्तुत किया जबकि श्रीधर का फौत होना व श्रीधर के पिता बजरंगा का भाई कल्याण व दो पुत्र श्री निवास व कन्हैयालाल बताये गये हैं। जिनकी मृत्यु के बाद लाऔलाद फौत होना बताया गया है। कन्हैयालाल के दो पुत्र भंवरलाल व लक्ष्मीनारायण व भंवर का देहान्त होने पर उसके कोई संतान नहीं होने से मात्र बेवा रामकन्या बाई बतायी जाकर वाद पेश किया जबकि श्रीधर लाऔलाद फौत होना उसके एक मात्र वारिस रेस्पोडेंट का कही प्रमाणित न होना पाया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र का निर्णय करते हुए पुजारियों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है जबकि हिन्दू संस्कृति से विधवा को किसी भी प्रकार की सेवा पूजा मंदिर की नहीं करती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को दर किनार कर न्यायिक मंशा को समझने का प्रयास न करते हुए निर्णय निर्णीत किया है, जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आराजियात शासन सचिव महोदय आदेश दिनांक 31.05.1993 की पालना में माननीय जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार तहसीलदार द्वारा प्रतिवर्ष मुनाफा काश्त पर देने की कार्यवाही की जाती रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट का कब्जा मानने में भारी भूल करते हुए एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का गलत उपयोग करते हुए निर्णय दिनांक 13.03.2020 निर्णय व डिक्री पारित करना स्पष्ट दर्शित करता है। रेस्पोडेंट को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से पूर्ण धारणा बनाकर किया गया निर्णय व डिक्री पारित काबिल खारिज योग्य है।

राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप पत्रांक 3(2)राज0–6/07/14 दिनांक 24.05.2007 में स्पष्ट किया है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क है। अतः इसकी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2020 निरस्त फरमायी जाकर अपीलांट मंदिर श्री कल्याणराय जी विराजमान के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए खुली प्रक्रिया से नीलामी बोली द्वारा काश्त व्यवस्था करवायी जाने की अनुमति प्रदान करते हुए पुजारी के रूप से सवा करने वाले के लिए सेवा प्रतिफल अदा करने का अनुतोश प्रदान करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अपने पक्ष के समर्थन में आर.बी.जे. (29) 2022 पेज 224, आर.बी.जे. (29) 2022 पेज 134, आर.बी.जे. (28) 2021 पेज 524, आर.बी.जे. (28) 2021 पेज 655, आर.बी.जे. (29) 2022 पेज 452 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि ग्राम छजावा, तहसील अटरू में खसरा नं. 422 रकबा 1.34 हेक्टर व खसरा नं. 423 रकबा 2.62 हेक्टर कुल दो किता रकबा 3.96 हेक्टर के बाबत यह अपील राजस्थान सरकार ने एवं देवस्थान आयोग ने की है जिसमें यह कहा है कि उपरोक्त भूमियां अधीनस्थ न्यायालय ने पुजारी लक्ष्मीनारायण व रामकन्या बाई केनाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं और अपीलांट को सुनवायी का कोई अवसर नहीं दिया और इनका जवाबदावा बन्द कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ग्राम छजावा की आराजियात पूर्व में श्रीधर पुत्र श्री बजरंगा के दर्ज होना व खुद का काबिज होना अंकन होना बताया है। जबकि श्रीधर का फौत होना व श्रीधर के पिता बजरंगा का भाई कल्याण व दो पुत्र निवास व कन्हैया लाल बताये हैं जिनकी मृत्यु के बाद कन्हैया लाल के दो पुत्र भंवरलाल व लक्ष्मीनारायण बताया हैं तथा न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसमें उनको नहीं सुनना तथा एक तरफा निर्णय होना बताया है जबकि वास्तविक तथ्य अलग है। रेस्पोडेंट कम 1 व 2 की ओर एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.05.2016 को पेश किया गया, जिसमें मंदिर श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां, नाबालिग बविलायत व्यवस्थापक व प्रबन्धक तहसीलदार अटरू राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर बारां को पक्षकार बनाकर अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 53 व 188 आर.टी.एक्ट पेश किया था। जिसमें सम्वत 2013 से 2032 की खसरा सफाई में कॉलम नं. 4 में जमाबंदी में श्री कल्याणराय जी के स्थान पर पुजारी श्रीधर वल्द बजरंगा, जाति ब्राहमण, निवासी बारां के नाम दर्ज थी। कॉलम नं. 6 में खुद काबिज का अंकन है। मंदिर कल्याण राय जी की सेवा पूजा श्रीधर जी करते थे, उनका पारिवारिक सजरा भी दिया है, जिसमें वंश परम्परा के अनुसार मंदिर कल्याण राय जी की सेवा पूजा वर्तमान में भंवरलाल व लक्ष्मीनारायण ने की। लक्ष्मीनारायण वर्तमान में जीवित है, जिसकी उम्र वर्तमान में 92 वर्ष है तथा भंवरलाल फौत हो गया है, उसकी बेवा रामकन्या है वह भी लक्ष्मीनारायण के पास ही रहती है। मंदिर कल्याण राय जी बारां की लगभग 3000 बीघा जमीन है तथा मंदिर कल्याण राय जी की सेवा पूजा लगभग 8–10 पुजारी करते हैं जो वंश परम्परा के अनुसार करते चले आ रहे हैं। जब किसी पुजारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लड़के या उसके वारिसान उसकी जगह सेवा पूजा करने लग जाते हैं, यदि लड़के न हो और लड़कियां हो तो वह लड़कियां उन्हीं पुजारियों में से जो लड़के हैं, पूजा करवाती है किन्तु पूजा का जो हक है उसको छोड़ती नहीं है।

मंदिर कल्याण राय जी की सेवा पूजा करने के बदले में राज्य सरकार द्वारा कुछ अनुदान पुजारियों को दिया जाता है। यह अनुदान वेतन के रूप में भी हो सकता है तथा वार्षिक एन्यूटी के रूप में भी होता है, इसके लिये देवस्थान विभाग के यहां एक रजिस्टर होता है, उसमें पुजारी का नाम दर्ज होता है तथा उसको देवस्थान विभाग का अधिकारी देखता है। उसमें एक पुजारी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके स्थान पर वंश परम्परा के अनुसार उसका वंश चलाने वाला व्यक्ति सेवा पूजा करता है, जिसकी भी देवस्थान विभाग का अधिकारी अपने रजिस्टर में प्रविष्टि करता है।

राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न परिपत्र राजस्व विभाग द्वारा जारी किये जाते रहे हैं, जिनके निर्णय के पेज नं. 5 पर अधीनस्थ न्यायालय ने वर्णन किया हुआ है। उन परिपत्रों को लिखित बहस में पुनः लिखकर बताने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन परिपत्रों का वर्णन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में पेज सं. 5 व 6 पर हो रहा है।

मंदिर कल्याण राय जी की सेवा पूजा रेस्पोडेंट करते चले आ रहे हैं तथा तेल भोग की व्यवस्था भी करते हैं। जबकि रेस्पोडेंट को तेल भोग के रूप में कोई भी सहायता राशि का अनुदान प्राप्त नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलांट ने

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यही प्रार्थना की थी कि वादग्रस्त भूमियों पर मंदिर कल्याण राय जी के साथ वादीगण का नाम बहैसियत पुजारी का अंकन करवाया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने कियात्मक आदेश में यही आदेश दिया है कि मंदिर कल्याण राय जी बारां खातेदार के साथ देवस्थान विभाग द्वारा वेतन का निर्धारण न किये जाने तक पुजारी के रूप में रेस्पोडेंट का नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं, वादीगण को उक्त भूमि रहन, बेचान करने का अधिकार नहीं होगा। इससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट को भूमियों का स्वामित्व नहीं दिया गया है। भूमियों का स्वामित्व मंदिर कल्याण राय जी का ही रहेगा, लेकिन रेस्पोडेंट बहैसियत पुजारी उनका नाम रहेगा। अपीलांट द्वारा इस प्रकरण में जो निर्णय 2022 आर.बी.जे. पेज 225, 135, 138, व 2021 आर.बी.जे. पेज 526, 655 व 670 पेश किये हैं उन देखने से स्पष्ट है कि इन प्रकरण में मंदिर माफी की भूमि पर खातेदारी अधिकार दे दिये गये थे। जबकि इस प्रकार में खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं, खातेदार तो मंदिर कल्याण राय जी ही रहेगे और रेस्पोडेंट पुजारी के रूप में दर्ज होगे तथा इनका वेतन निर्धारण न होने तक ही रहेगे। यदि इनका वेतन निर्धारण हो जाता है तो पुजारी लिखा है वह भी हट जायेगा। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह पूर्ण रूप से सही है।

रेस्पोडेंट की ओर से इस प्रकरण के निर्धारण के लिये आर.आर.डी. 2000 पेज 14 माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बालकिशन बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यु की नजीर दी जा रही है जिसमें यह स्पष्ट है कि जागीर एक्ट की धारा 9 व 10 के अनुसार काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत 1949 से पहले कोई भूमि काश्त कर रहा है, भले ही वह मूर्ति या देवता की हो तो उसको खातेदारी अधिकार दिये जायेगे। इसी प्रकार आर.बी.जे. 2015 पेज 486 में तारा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में भी राजस्थान उच्च न्यायालय की तीन जजों की बैंच ने यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि दिनांक 15.10.1955 के दिन जो व्यक्ति जिस भूमि पर काबिज है, उसको खातेदारी अधिकार दे दिये जायेगे, भले ही वह नाबालिग हो। इसी प्रकार आर.बी.जे. 2017 पेज 55 राजस्थान सरकार बनाम कैलाश में भी राजस्व मण्डल की डबल बैंच ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत तारा बनाम राजस्थान सरकार आर.बी.जे. 2015 पेज 486 का हवाला देकर यही कहा है कि अगर जागीर अधिनियम 1952 के अस्तित्व में आने पर मंदिर मूर्ति के मालिकान के हक की जमीन पर अगर कोई व्यक्ति बतौर टीनन्ट काबिज है तो उक्त जमीन मंदिर से रिज्यूम होकर उक्त टीनेन्ट के खातेदारी में दर्ज होगी। इसी प्रकार 2009–2010 आर.आर.टी. सप्लीमेन्ट्री पेज 294 स्टेट आफ राजस्थान बनाम गीगाराम व अन्य में भी यही कहा है कि कार्यवाही रिकार्ड के कॉलम सं. 5 में यदि कब्जे का वर्णन है तो वह व्यक्ति स्वतः ही खातेदार बन जाता है।

जहां तक मंदिर कल्याण राय जी को तामील का सवाल है वे बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 3 को भी जवाबदावा हेतु काफी अवसर दिये किन्तु उन्होंने कोई जवाब पेश नहीं किया। इस कारण उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है। रेस्पोडेंट की ओर से पी.डब्ल्यू. 1, पी.डब्ल्यू. 2 के बयान करवाये गये एवं रिकार्ड को प्रमाणित करवाया गया। जिसमें जमाबंदी संवत 2021–2024, 2025–2028, 2029–2032 बाद सैटलमेंट नये नं. 422 से 423 कायम किये तथा यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत दिनांक 01.08.2960 को माफी रिज्यूम हुई थी।

पत्रावली पर जो तथ्य आये हैं उससे यह स्पष्ट है कि आराजी माफी रिज्यूम शुदा है तथा रिकार्ड से यह भी साबित है कि पूर्व में मूर्ति के साथ पुजारी के नाम का अंकन है और पुजारी को स्वतंत्र रूप से खातेदारी अधिकार नहीं थे। अब यदि अपीलांट को इसमें कोई आपत्ति है तो वह नियमानुसार कार्यवाही करें, निर्णय के अंतिम पेज में स्पष्ट है कि मूर्ति के साथ वादीगण को पुजारी दर्ज किया जावे। वादीगण को स्वतंत्र खातेदार के अधिकार प्राप्त नहीं होगे और आराजी मंदिर मूर्ति की खातेदारी में ही रहेगी।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय बहाल रखा जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 2000 पेज 15, आर.आर.डी. 2000 पेज 109, आर.बी.जे.(22) 2015 पेज 486, आर.बी.जे.(24) 2017 पेज 54, 2009–2010 आर.आर.टी. सप्लीमेन्ट्री पेज 294, आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 1244 की नजीरे उद्धरित की।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंदिर श्री कल्याणराय जी खातेदार के साथ पुजारी के रूप में लक्ष्मीनारायण पुत्र कन्हैया लाल व रामकन्या बाई बेवा भंवरलाल का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। दस्तावेजों का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024 तक में मंदिर श्री कल्याणराय जी स्थान बारां श्रीधर वल्द बजरंगा, कौम ब्राहमण, साकिन बारां दर्ज है। राज. सरकार सैटलमेंट विभाग की खसरा सफाई सम्वत 2013 से 2032 में माफी मंदिर श्री कल्याणराय जी पुजारी के रूप में श्रीधर पुत्र श्री बजरंगा, जाति ब्राहमण का नाम दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2070–2073 में खातेदार श्री कल्याणराय जी बिराजमान मंदिर बारां दर्ज है।

राज. सरकार देवस्थान विभाग की विज्ञप्ति 27 अप्रैल 1981 के अनुसार मंदिर श्री कल्याणराय जी बारां देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय आत्मनिर्भर मंदिरों एवं संस्थानों की सूची में शामिल होना प्रकट होता है।

राज. सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के 25.11.2011 के परिपत्र के अनुसार जमाबंदियों में पुजारी का नाम देवमूर्ति के साथ दर्ज नहीं किया जावे तथा तहसील स्तर पर मंदिर के पुजारियों का रजिस्टर संधारित किया जावे तथा जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों का नाम रजिस्टर में अंकन किया जावे।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रस्तुत प्रकरण में सैटलमेंट की खसरा सफाई में रेस्पोडेंट के पूर्वजों का नाम पुजारी के तौर पर दर्ज होना प्रकट होता है तथा पुजारी का नाम मंदिर मूर्ति के साथ खातेदारी में पुजारी के तौर पर दर्ज करने का कोई प्रावधान राजस्व नियमों में नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या 520 के निर्णय को उद्धरण के तौर पर प्रस्तुत कर विधिक त्रुटि की है। समकक्ष न्यायालय का निर्णय उद्धरण के तौर पर नहीं लिखा जा सकता तथा ना ही वह निर्णय मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। चूंकि मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है तथा नाबालिग के हितों की रक्षा का दायित्व न्यायालय का भी है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के विपरीत होने से खारिज योग्य है। यदि रेस्पोडेंट को पुजारी के रूप में नाम दर्ज कराना हो तो तहसील में पुजारियों के रजिस्टर में दर्ज कराने हेतु तहसील स्तर पर चाराजोही करनी चाहिए।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध व त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2020 निरस्त किया जाता है। साथ ही तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2020 के निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन हुआ हो तो उसे निरस्त करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– मंदिर श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां नाबालिग बविलायक व प्रबन्धक तहसीलदार अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां राज0
2– राजस्थान सरकार जरिये देवस्थान विभाग, सहायक आयुक्त, कोटा राज0
3– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, बारां, जिला बारां, राज0

अपीलांट्स

बनाम

1– लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण, निवासी श्रीजी का चौक, बारां, तहसील बारां, जिला बारां, राज0
2– रामकन्याबाई बेवा भंवरलाल, जाति ब्राहमण, निवासी श्रीजी का चौक, बारां, तहसील बारां, जिला बारां, राज0

रेस्पोडेंट्स

अपील नं **2020/00117**
मु.द.नं0 **84/2016**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,अटरू**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **18.03.2020**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **12 माह 06 सन् 2024**

श्री **चन्द्र प्रकाश मीणा** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **बी.एल.जैन** अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2020 निरस्त किया जाता है। साथ ही तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के निर्णय व डिकी दिनांक 18.03.2020 के निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन हुआ हो तो उसे निरस्त करें।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **11 माह 07 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(ममता कुमारी तिवारी) 11/7/2024
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)